समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में सूचना समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गयी थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके वावजूद श्री **सुभाष शर्मा, पिता- तिवारी प्रसाद शर्मा, ग्राम- लक्ष्मीपुर, थाना- बिहारीगंज, जिला- मधेपुरा** द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित पपत्र में सूचना अंकित कर समर्पित नहीं करने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 264/श0 दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1963 के नियम-63 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त -9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत **दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-03/1981(बिहारीगंज थाना)** को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्पष्टीकरण अबतक समर्पित नहीं किया गया है और न ही अपना कोई पक्ष रखा गया है। साथ ही लोक सभा आम चुनाव-2014 के अवसर पर पुनः शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु दिनांक 14.03.2014 एवं 15.03.2014 की तिथि निर्धारित की गयी। अंचल अधिकारी, बिहारीगंज एवं थानाध्यक्ष, बिहारीगंज के पत्रांक 147-2 दिनांक 19.03.2014 एवं 217-2, दिनांक 10.4.14 से प्राप्त संयुक्त प्रतिवेदनानुसार अनुज्ञप्तिधारी ने अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है एवं स्पष्टीकरण तथा विहित प्रपत्र में सूचना आज तक समर्पित नहीं की गयी है, जो अनुज्ञप्ति प्राधिकार के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ अनुज्ञप्तिधारी के मनमानेपन एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त के उल्लंघन का द्योतक है।

अतएव शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए श्री **सुभाष शर्मा, पिता- तिवारी प्रसाद शर्मा, ग्राम- लक्ष्मीपुर, थाना- बिहारीगंज, जिला- मधेपुरा** के नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-03/1981(बिहारीगंज थाना) को रद्द किया जाता है तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना दो नाली बन्दूक संख्या- 51802 को बिहारीगंज थाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा में तथा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 226 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 16-4-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, बिहारीगंज / मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री सुभाष शर्मा, पिता- तिवारी प्रसाद शर्मा, ग्राम- लक्ष्मीपुर, थाना- बिहारीगंज, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

16/04/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।